"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2004—चैत्र 20, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक एफ 1-2/2004/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, तारीख 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई "परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881" (1881 का क्रमांक-26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2004 तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा के उप चुनाव के सिलसिले में दिनांक 20 अप्रैल, 2004 वार मंगलवार, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मतदान के

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

2. क्रमांक एफ 1-2/2004/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2004 तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा उप चुनाव-2004 के लिये मतदान के दिन, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 वार मंगलवार, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2004

क्रमांक एफ-15-138/2002/नौ/17.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, फार्मेसी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (क) के अनुसार सदस्यों के निर्वाचन हेतु, छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार को निर्वाचक अधिकारी नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2004

क्रमांक एफ-15-138/2002/नौ/17.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

Raipur, the 12th March 2004

No. F-15-138/2002/IX/17.—The State Government, hereby, appoints the Registrar of Chhattisgarh Pharmacy Council as Returning Officer, to conduct the election of Members, in accordance with part (a) of Section 19 of the Pharmacy Act, 1948 (No. 8 of 1948).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR DHRUV, Under Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2004

क्रमांक 512/576/04/11/(6).—राज्य शासन द्वारा श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर को लोक सभा का निर्वाचन सम्पन्न होने तक अस्थाई व्यवस्था के रूप में पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की शक्तियां प्रदान की जाती है. श्री धुर्वे को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां भी लोक सभा निर्वाचन के सम्पन्न होने तक प्रदत्त की जाती है.

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेश पाठक, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 684/जिला निग. स./उ.वि./2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (5) में विहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के कार्यों में समन्वयन, विद्युतीकरण के विस्तार कार्यों की समीक्षा, उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत की गुणवत्ता व उपभोक्ता संतोष तथा ऊर्जा के संरक्षण एवं दक्षता सहित उपयोग आदि कार्यों के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति गठित करती है :—

(i)	जिलाध्यक्ष	–	अध्यक्ष
(ii)	जिले के संसद सदस्य	–	सदस्य
(iii)	जिले के विधान सभा सदस्य	–	सदस्य
(iv)	नगर पालिका/नगर निगम के आयुक्त	–	सदस्य
(v)	जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	–	सदस्य
(vi)	कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	–	सदस्य
(vii)	राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी के नामित प्रतिनिधि.	–	सदस्य
(viii)	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के नामित प्रतिनिधि.	–	सदस्य
(ix)	उद्योग विभाग से जिले में नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(x)	विद्युत मण्डल/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधीक्षण यंत्री या उनके प्रतिनिधि.	–	संयोजक

2. उक्त समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी.

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक एफ 4-108/2004/गृह-सी.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिबंध किया जाये:

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने की तारीख 22 मार्च, 2004 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

"रायपुर नगर निगम के सफाई सेवा, जल प्रदाय सेवा, अग्नि शमन सेवा से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्ति किए गए व्यक्ति (पर्सनल)".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक एफ 4-108/2004/गृह-सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड 3 (1) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-108/2004/गृह-सी दिनांक 22-3-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 22nd March 2004

No. F-4-108/2004/Home-C.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service specified in the schedule below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 22 March, 2004.

SCHEDULE

"Personnel appointed for works relating to Safai Sewa, Water Supply Services, Fire Services work in Raipur Nagar Nigam".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Joint Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक एफ 5-11/खाद्य/2003/29.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1920/796/21-ब/छग/04, दिनांक 25-3-2004, जिसके द्वारा श्री सनमान सिंह (उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर की सेवाएं इस विभाग से वापिस लेते हुए परिवहन विभाग को पीठासीन अधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपी गई है, के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा श्री सनमान सिंह की सेवाएं तत्काल प्रभाव से विधि एवं विधायी कार्य विभाग को वापिस लौटायी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक एफ 5-11/खाद्य/2003/29.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1916/795/21-ब/छग/04, दिनांक 25-3-2004, जिसके द्वारा श्री सी. बी. बाजपेयी (उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी) विधिक सलाहकार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग से वापिस लेते हुए रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपी गयी है, के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सी. बी. बाजपेयी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2004

क्रमांक 1916/795/21-ब/छग/04.—राज्य शासन द्वारा श्री सी. बी. बाजपेयी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवायें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 6425/1795/21-अ/स्था/03, दिनांक 6-10-2003 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी गई थी, कि सेवायें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 86/II-2-17/2001, दिनांक 19-3-2004 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय से वापिस लेकर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2004

क्रमांक 1919/21-ब/छग/04.—राज्य शासन, श्री आर. के. बेहार, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवायें राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 5777/फा.-3(ए)/4/2002/21-ब, दिनांक 3-9-2002 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर को सौंपी गई थी, की सेवायें परिवहन विभाग से वापिस लिया जाकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2004

क्रमांक 1920/796/21-ब/छग/04.—राज्य शासन, श्री सनमान सिंह, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 4218/1721/21-ब/छग/03, दिनांक 2-7-2003 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर को सौंपी गई थी, को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 81/II-17/01, दिनांक 19-3-2004 के परिप्रेक्ष्य में वापिस लिया जाकर, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु परिवहन विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1136/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गठुला प. ह. नं. 22	13.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बोरी जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक 2352/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कारूटोला प. ह. नं. 80/19	38.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कारूटोला जलाशय के निर्माण में डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक 2353/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कनेरी प. ह. नं. 80/19	4.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कारूटोला जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मुंजला	0.984	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चपका वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.612	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चपका वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 114/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-गातापारकला, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
777	1.00
1046/1 का टु.	0.40
1044	2.08
1051/3	0.20
1078	0.30
1062	0.85
1075/3	0.50
1070/2	0.20
1057	0.43
1021	0.20
1071	3.46
778	0.70
1046/1 का टु.	1.04
1045	0.42
1051/2	0.93
1077/2	0.44
1077/1	0.74
1075/2	0.85
1069	0.21
1023	0.85
1022	0.50
785/1	0.80
1046/2	1.60
1051/1	0.43
1059/1	2.15
1076	0.20
1074	2.36
1065	0.16
1056	1.10
1055/1	0.75
1046/1 का टु.	0.30
785/2	0.60
1042	1.67
1059/3	0.40
1052/2	0.36
1073	0.53
1075/1	2.00
1066	0.11
1030	0.50
1020	0.20
1052/1	1.00
योग 41	33.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेम्हरा जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनु-विभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1164/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रूवातला, प. ह. नं. 9/70

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.86 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
12	0.70
80	1.25
13	1.30
15	1.00
14	1.15
16/2	0.05
16/3	0.20
90/1	0.19
90/3	0.45
91	0.02
81/1	0.15
82/1	0.05
81/3	0.35
35/2	0.15
37	0.55
36	0.30
योग 16	7.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पुरैना जलाशय की उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनु-विभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1163/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-खैरबना, प. ह. नं. 71/10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-95.31 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
402	0.55
414	1.06
459	0.18
400	0.30
493/1	0.39
490/1	0.88
399/4	0.12
399/7	0.17
413	0.40
416/1	0.13
500	0.84
416/2	0.44
465/2	0.60
465/2	0.40
416/3	0.30
426	1.25
462	0.22
481	2.21
427	0.84
461	0.25
429	0.10
428	0.54
463	0.35
380/1	0.35
485/3	1.37
432/2	1.00
485/1	0.85
432/1	0.28
380/2	0.25
485/2	0.62
447/4	0.20
465/1	0.40

(1)	(2)	(1)	(2)
448	1.40	447/1	0.20
475	1.15	447/2	0.12
440	3.15	447/3	0.08
407	1.85	469/1	0.48
458	0.85	470	0.30
382	0.35	472	0.29
452	0.25	473	1.30
479	1.50	476	1.05
383/1	0.10	491	1.74
474	0.26	478	0.62
497/2	0.20	480	1.30
497/4	0.30	482	0.70
497/1	0.30	483/1	0.85
465/4	0.63	483/4	0.30
469/2	0.32	484	2.79
419	0.80	494/4	2.79
445	3.51	486	0.80
425	4.00	487	2.00
450	2.23	488	1.04
477	0.61	490/2	0.88
498	0.14	492	1.21
386	0.40	497/6	0.21
396	0.08	384	0.25
251	0.81	370	0.10
368	0.43	385	0.17
378	0.40	494/3	0.57
371	0.07	497/3	0.34
379	0.30	497/5	0.20
451	0.33	493/2	0.52
453	0.20	493/3	0.42
454	0.35	493/5	0.20
455	1.20	494/1	2.48
460	2.38	494/2	4.00
466	0.84	495	2.10
467	2.04	496/1	0.82
471	1.46	496/2	1.00
468/1	0.15	502	0.65
493/4	0.19	504	0.55
485/4	1.00	341/1	1.25
503	0.30	363	1.07
444	0.50	362	0.27
446	1.12	337	0.14
		340	0.25

(1)	(2)
341/2	0.62
योग 118	95.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरबना जलाशय के बांधपार एवं डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक 1529/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पलांदुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-78.05 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
829/1	0.43
829/2	0.08
829/3	0.43
830	0.52
832/2	0.22
832/1	0.52
840	0.44
853/2	0.25
838	0.09
851	1.00
853/1	0.45
833	0.02
839/1	0.75
839/3	0.54
839/4	0.30
839/2	1.90
841/1	0.38
854/2	0.26
841/2	0.15
844	0.02
847/1	0.20
843/2	1.10
848	2.30
849	1.58
858	0.51
1069	1.00
854/3	0.27
855	0.30
856	0.70
861/2	0.15
861/3	0.77
859	5.71
860	1.44
861/1	0.61
861/4	2.48
861/6	1.35
861/5	1.09
862	1.12
867	0.80
863	2.86
864	0.39
865/1	0.55
865/3	0.83
866	0.35
878	0.60
889	0.32
868	0.68
880	0.32
870	0.40
871	0.45
872	1.90
893/1	0.50

(1)	(2)
873/2	0.50
873/3	0.50
873/4	0.50
874	0.55
875	0.38
876	1.48
877	1.94
879	1.70
881	1.89
882	1.89
883/2	0.42
883/3	0.42
884	2.10
885	5.02
886	0.40
887/2	1.40
887/1	0.40
888	2.34
891/1	0.09
883/1	2.25
828/1	0.34
828/2	1.10
828/3	0.50
843/1	0.50
846/1	0.60
846/2	1.00
846/3	0.60
842/1	0.48
842/2	0.29
842/7	0.28
842/3	0.29
842/6	0.29
842/4	0.61
842/8	0.39
852/1	0.26
852/2	0.20
854/1	0.27
842/5	0.40
865/2	0.75
861/7	0.35
योग 92	78.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरबना जलाशय के बांधपार एवं डुबान क्षेत्र में अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. **एस. मिश्रा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 24 फरवरी 2004

प्रकरण क्रमांक 1-अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-कवर्धा, प. ह. नं. 34/1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
877	0.12
834/2	0.11
योग 2	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कवर्धा बाई पास मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 फरवरी 2004

प्रकरण क्रमांक 4-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 59
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.84 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
473/2-4	0.34
474/1	0.10
470/1	0.06
472/2	0.09
472/1	0.13
468	0.02
471	0.13
450	0.03
466	0.36
465/1	0.07
465/2	0.06
464	0.15
460/2	0.28
467	0.02
459	0.03
453	0.22
455	0.05
454	0.10
451/1	0.13
451/2	0.12
444	0.20
478/3	0.20
443	0.23
438/2	0.17
438/1	0.55
योग	3.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगीबहरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 फरवरी 2004

प्रकरण क्रमांक 5-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-मानपुर, प. ह. नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.00 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
363	0.50
365	0.45
366	1.21
369	3.00
134	1.32
154	1.99
152	0.17
148	0.44
137	0.14
142	0.85
156	1.60
138	0.33
147	1.64
151	0.17
141	0.89
150	2.40
157/1	0.50
157/4	0.58
114	0.13
126/4	2.90
361	0.40
157/3	0.07
157/9	0.02

(1)	(2)
157/15	0.05
157/13	0.12
157/5	0.35
157/12	0.05
157/6	0.03
157/10	0.24
157/11	0.24
157/14	0.22
योग	23.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झाडूटोला जलाशय के डूबान एवं पार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, क़वर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 फरवरी 2004

प्रकरण क्रमांक 11-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगीबहरा, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.57 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
187/1	0.34
192/7	0.04
186/4	0.42
197	0.35
83	1.60
80	0.14
187/2-3	0.68
योग	3.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगीबहरा व्यपवर्तन के अंतर्गत डूबान पार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 जनवरी 2004

क्रमांक 50/रीडर/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर
- (ख) तहसील-उत्तर बस्तर, कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-गौरगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
544	0.09
540	0.10
536	0.06

(1)	(2)
535	0.06
534	0.06
532	0.06
409	0.13
420/9	0.26
420/2	0.05
417	0.02
418	0.01
416	0.14
413	0.06
515	0.05
414	0.05
411	0.01
412	0.03
410	0.14
407	0.09
406	0.06
421	0.02
योग	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम, जिसके लिए आवश्यकता है-गौरगांव तालाब योजना अंतर्गत नहरनाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 20 जनवरी 2004

क्रमांक 55/रीडर/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर
- (ख) तहसील-उत्तर बस्तर, कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-पाण्डरवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69	0.28
66	0.23
65	0.01
77/1	0.24
योग	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम, जिसके लिए आवश्यकता है-गौरगांव तालाब योजना अंतर्गत नहरनाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 5 मार्च 2004

क्रमांक 311/01/अ-82/03-04/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हाटकोंदल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-39.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.25
105	4.45
49	0.22
50	1.64
146	1.08
153	0.25
155	0.22

(1)	(2)
161	0.50
162	0.85
56	0.20
58	0.40
57	0.85
61	0.30
63	2.56
106	0.40
102	0.67
107	1.77
108	0.30
109	1.04
149	0.14
185	1.00
226	0.65
151	0.20
152	3.98
147	0.08
156	3.63
165	0.81
182	1.36
232	0.28
157	0.19
160	0.11
164	0.24
183	0.41
158	0.13
159	0.15
184	0.93
187	0.18
170/1	0.16
170/2	0.27
169	0.15
239	1.00
181/1	0.03
141	0.05
233	1.98
240	1.17
234	0.98
229	0.81
245	0.48
योग	39.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम, ज़िसके लिए आवश्यकता है-जयराम पारा तालाब के डूब में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2004

क्रमांक क/वा/अ.वि.अ./5 अ-82, 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-छटेरा, प. ह. नं. 149/47
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
763	0.48
764	0.05

(1)	(2)
759	0.24
766	0.38
743	0.26
755	1.21
794	0.44
802	1.18
733	0.06
757	0.15
732	0.05
761	0.71
701/1	1.63
731	0.89
803	0.63
745	1.64
747/1	0.11
736	0.03
740	0.09
798	0.40
799	0.07
765	1.20
805/2	0.46
795	0.51
796	0.10
734	0.14
805/1	0.30
804/1	0.36
804/2	0.23
758	0.17
762	0.50
800	0.57
808	0.36
744	0.31
738	0.06
742	0.24
698	0.22
729	2.43
739	0.09
767	0.46
768	0.51
754	0.25
806	1.00
747/2	0.20
756	0.10
737	0.03
735	0.03
760	0.17
797	0.50
746	0.57
योग 50	22.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2004

क्रमांक क/वा/अ.वि.अ./6 अ-82, 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-आरंग, प. ह. नं. 60/42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-39.312 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1629/1	0.381
1607/1 ख, 1607/2	0.141
1617/2 क, ख	0.327
1624, 1625	0.289

(1)	(2)	(1)	(2)
1629/2, 1629/3	0.380	4102, 4103/1	0.149
1629/4	0.283	1488/1	0.202
1623/2	0.125	1544/1	0.149
1645	0.226	4115/5	0.057
1518/1, 1518/2	0.210	4115/6	0.219
1519/1	0.089	4104, 4105, 4106, 4107	0.468
1487/2	0.123	4108/1, 4108/3	0.154
1516/1	0.194	1551	0.331
1501	0.125	1651/4, 1652/4	0.182
1649/1	0.081	1647/1,2	0.242
1490/2	0.065	1651/3, 1652/5	0.166
1627/1	0.210	4078	0.089
1627/3	0.036	1588/4 क 4	0.202
1486	0.231	1500/1	0.121
1491	0.186	1519/2 क	0.048
1492	0.336	1505/1 क 1	0.111
4112	0.238	1560/10 ख	0.137
4113	0.283	1588/4 क 3	0.057
4114	0.185	1588/4 ख	0.182
1588/7 क	0.016	1588/7 ख	0.036
1588/3 क	0.109	1490/1	0.065
1560/1	0.080	1602/2	0.065
1560/2	0.093	1605	0.506
1543	0.874	1544/2 ख	0.088
1560/14	0.326	1485/2	0.040
1580	0.535	1546/1, 2, 3	0.134
1602/1	0.118	1484/4	0.148
1650	0.053	1487/1	0.081
1653/1	0.101	1485/1	0.109
1604	0.445	1546/4, 1546/5, 1546/6,	0.400
1588/4 क 1	0.226	1547/1	0.041
1588/6	0.170	4115/1	0.145
4108/2	0.090	4115/7	0.004
1541/1, 1542/1	0.016	4076	0.206
1500/2, 3	0.466	4079/1, 4079/2, 4079/3	0.222
1616/3, 1616/4	0.319	1497/1, 1499/1, 4396/1	0.105
1617/1	0.405	1556, 1557	0.684
1549/1	0.175	1558, 1559	0.437
1549/2, 1550/1	0.203	4089	0.012
1553/1	0.210	4091	0.065
1549/3, 1550/2	0.024	1644	0.036
1549/4	0.012	1628	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
1588/1	0.024	1489	0.340
1588/2 ख, 1588/2 ग	0.061	4075/2	0.012
1588/3 ख	0.474	4077	0.032
1588/4 क 2	0.061	1646/2	0.105
1588/4 क 5	0.148	1152	0.218
1588/4 क 6	0.061	1215	0.206
1588/5	0.226	1216/1	0.184
1493, 1498/2	0.450	1366/2	0.160
1544/2 क	0.066	1288/6	0.032
1490/3	0.065	1367	0.279
1607/1 क	0.161	1288/4	0.222
1494, 1499/2	0.349	1288/5	0.188
1498/1	0.085	1379/2	0.016
1651/1, 1652/1, 2	0.186	1377/2	0.142
1583	0.028	1380/2	0.243
1653/2	0.117	1222/7 भ 15	0.049
4080	0.473	1368	0.280
1546/7, 8	0.174	1370/1	0.101
4096	0.089	1288/3	0.061
4097	0.202	1365/2, 3	0.077
4098	0.041	1370/2	0.357
4099	0.065	1288/4395/1	0.129
4100	0.061	1288/4395/2 क	0.004
4101	0.085	1286/7	0.182
1627/2	0.105	1222/7/भ 14	0.028
1626	0.243	1381/1	0.202
4082/1, 2	0.446	1381/2	0.194
1649/2	0.012	1230/1, 2	0.109
1547/2	0.061	1222/7 क्ष 3	2.028
1488/2 क	0.060	1292/3	0.206
4090	0.050	1216/2	0.336
4110/1	0.344	1222/7 क्ष 2	2.092
4110/2	0.303	1287/1	0.182
4111	0.267	1288/7	0.283
4115/3	0.247	1222/7 भ 16	0.216
1584/1	0.028	1380/1	0.028
1587/1	0.053	1371/1, 2, 1373/1, 1374/1, 1375/1, 1376/1, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1378	0.608
1517/1, 2, 3	0.136		
1484/1, 2	0.104		
1485/3	0.057		
1647/3	0.121	1371/3, 1373/3, 1374/3, 1375/3, 1376/3	0.206
1651/2, 1652/3	0.186		

(1)	(2)
1366/1	0.160
1222/7 भ 17	0.316
1222/7 क	0.405
1222/7 ध	0.486
1222/7 क्ष 1	1.031
1222/7 च	0.607
1222/7 ख	0.351
1222/7 त	0.259
1222/7 ड़	0.466
1222/18 क	0.202
1222/7 ढ़ 1	0.364
1222/7 छ	0.562
1222/7 र	0.405
योग 222	39.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2004

क्रमांक क/वा/अ.वि.अ./4 अ-82, 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-गोइंदा, प. ह. नं. 148/44

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1006	0.03
1007	0.04
802	0.11
901	0.22
953	0.04
757	0.17
1014	0.04
940	0.05
796	0.16
833	0.13
1031	0.02
1002	0.05
980	0.06
733	0.06
741	0.21
937	0.08
831	0.05
982	0.04
1004	0.09
991	0.12
794	0.08
817	0.56
927	0.12
952	0.04
945	0.05
947	0.04
894/2	0.05
963	0.26
962	0.24
739	0.12
1001	0.03
829	0.09
969	0.14
793	0.15
797	0.33
810	0.31
1034	0.06
923	0.04
908	0.11
742	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
950	0.02	907	0.09
976	0.10	924	0.04
972	0.03	740	0.11
955	0.10	1013	0.13
1024	0.06	790	0.05
1040	0.05	910	0.07
1041	0.04	1028	0.02
941	0.09	1020	0.05
974	0.31	958	0.15
897	0.35	732	0.07
915	0.13	751	0.08
752/1	0.51	816/2	0.03
983	0.03	754	0.40
896/1	0.07	986	0.04
942	0.05	1030	0.03
896/2	0.14	1042	0.05
896/3	0.08	1043	0.08
909	0.16	792	0.06
919	0.06	925	0.14
920	0.33	1005/1	0.05
729	0.20	914	0.12
809/1	0.10	984	0.10
800	0.12	791	0.03
750/1	0.09	906	0.20
1016	0.03	922	0.20
970	0.05	939	0.05
738	0.10	943	0.04
999	0.04	931	0.02
735	0.07	981	0.02
928	0.02	992	0.01
933	0.08	760	0.18
921/2	0.10	798	0.12
832	0.17	1003	0.05
913	0.06	834	0.26
926	0.10	904	0.16
921/1	0.02	1037	0.03
975	0.05	759	0.29
996	0.03	804	0.06
1019	0.02	948	0.03
1011	0.07	957	0.13
903	0.11	959	0.07
951	0.02	961	0.43

(1)	(2)
956	0.17
1025	0.11
1044	0.16
1010	0.05
788	0.22
966	0.13
1045	0.15
749	0.08
743	0.20
1029	0.03
932	0.02
1039	0.02
737	0.10
997	0.02
1000	0.09
894/1	0.05
946	0.03
1017	0.02
801	0.11
917	0.12
944	0.03
993	0.03
744	0.30
916	0.07
758	0.07
816/1	0.27
750/2	0.09
736	0.15
998	0.03
753	0.76
806	0.02
807	0.02
987	0.04
988	0.11
1021	0.06
827	0.07
1033	0.04
967	0.43
954	0.03
965	0.11
1022	0.06
1023	0.04

(1)	(2)
929	0.04
990/1	0.02
985	0.04
989	0.02
752/2	0.30
1009	0.03
819	0.04
820	0.14
828	0.21
1008	0.06
818	0.24
795	0.06
835	0.30
1018	0.03
803	0.04
830	0.05
902	0.32
911	0.42
994	0.01
1026	0.06
918	0.84
893	0.10
1027	0.02
756	0.30
755	0.36
799	0.13
805	0.07
808	0.09
912	0.22
949	0.03
960	0.08
964	0.12
930	0.02
968	0.11
978/1	0.14
995	0.01
1005/2	0.10
1032	0.03
973	0.03
734	0.33
775/4	0.07
895	0.11

	(1)	(2)
	1035	0.03
	1036	0.03
	1038	0.02
	934	0.08
	787	0.08
	809/2	0.11
	892	0.43
	905	0.14
	938	0.04
	977	0.02
	978/2	0.04
	979	0.05
	990/2	0.09
योग	221	25.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2004

क्रमांक 13/A-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सकोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	655	0.158
	660	0.053
	644/1	0.101
	644/2	0.097
	653/1	0.032
	642/1	0.121
	646/2	0.049
	659	0.101
	641/2	0.020
	645	0.069
	654/2	0.016
	652/1	0.053
	643	0.032
	650	0.024
	644/3	0.032
	641/1	0.081
	652/2	0.049
योग	17	1.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

क्रमांक 930/भू-अर्जन/अ.वि.अ./10 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेतराई, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
258	0.01
259	0.05
261	0.01
262/1	0.09
262/3	0.10
272	0.02
274	0.11
280	0.08
333/2	0.03
333/3	0.03
335	0.13
364	0.05
377	0.03
346	0.01
363	0.02
372	0.02
373	0.01
378	0.07
374	0.03
375	0.01
योग 20	0.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-साल्हे-तराई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 जनवरी 2004

क्रमांक 5/भू-अर्जन/अ.वि.अ./14.अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-महासमुन्द, प. ह. नं. 142
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.64 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
148/3	0.05
50/3	0.05
147/4	0.04
50/5	0.04
148/4	0.13
50/6	0.04
145	0.13
1	0.03

	(1)	(2)
	3	0.03
	2	0.08
	6	0.02
योग	11	0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 जनवरी 2004

क्रमांक 6/भू-अर्जन/अ.वि.अ./39अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 115/52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	470	0.04
	468	0.04
	466/2	0.06
	461	0.04
	460	0.03
योग	5	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बोडरा-बांधा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 जनवरी 2004

क्रमांक 7/भू-अर्जन/अ.वि.अ./37 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खरोरा, प. ह. नं. 140
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1714	0.07
	1713	0.06
	1710	0.06
	1708	0.03
	1706	0.06
	1699	0.20
योग	6	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार जलाशय के अंतर्गत खरोरा माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में क्रिया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2004

क्रमांक 23/भू-अर्जन/अ.वि.अ./54 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-बागबाहरा खुर्द, प. ह. नं. 119/67

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
218	0.17
213	0.06
योग 2	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2004

क्रमांक 24/भू-अर्जन/अ.वि.अ./31 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-परसुली, प. ह. नं. 113/60

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94	0.08
96	0.10
591	0.06
97	0.16
110	0.05
99	0.22
104	0.05
100	0.03
101	0.08
102	0.08
106	0.09
115	0.02
114	0.08
515	0.02
594	0.02
113	0.07
514	0.04
365	0.01
366	0.23
367	0.04
368	0.08
369	0.02
371	0.01
671	0.15
374	0.01
372	0.02
713	0.03
373	0.14
587	0.02
398	0.03
513	0.02
715	0.04
519	0.10
702	0.05
516	0.08
585	0.13
586	0.02
598	0.09
592	0.10
593	0.09
596	0.04
595	0.04
669	0.03
705	0.02
670	0.04

(1)	(2)
706	0.04
709	0.03
707	0.03
714	0.06
712	0.06
योग 50	3.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के परसुली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 26/भू-अर्जन/अ.वि.अ./48 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-अमरूदा, प. ह. नं. 125/72
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1693	1.08
1221	0.03
1693	0.02
1693	0.02
1953	0.02
1667	0.01
1693	0.02
1693	0.18
1647	0.02
1648	0.02
1693	0.02
1693	0.08
1654	0.02
1666	0.01
2451	0.01
1693	0.04
1799	0.02
1693	0.03
2450	0.02
1693	0.03
1694	0.46
1681	0.02
2451	0.01
1693	0.05
1796	0.02
2442	0.01
1693	0.13
1693	0.05
1795	0.04
2465	0.01
1693	0.01
1693	0.02
1681	0.01
2464	0.02
योग 34	2.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गबौद जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-खैजा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.071 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1190	0.016
	1189/1	0.178
	1194	0.012
	1195/1	0.202
	1288	0.065
	1209	0.024
	1189/2	0.049
	1201	0.040
	1196	0.081
	1282/1	0.032
	1207	0.024
	1208	0.020
	1212/2	0.020
	1221	0.012
	1222	0.012
	1287	0.045
	1282/2	0.045
	1220/2	0.032
	1213	0.081
	1214/1	0.081
योग	20	1.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से खैजा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2003

क्रमांक 1249/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा खुर्द, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/2, 2	0.105
	6	0.016
योग	2	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 नवम्बर 2003

क्रमांक 1250/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलादेही, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.959 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	337/3	0.101
	338/1	0.061
	337/2	0.012
	286/1	0.016
	430/7	0.028
	430/1	0.045
	49	0.016
	1771/3	0.008
	191	0.020
	1654/2	0.032
	1654/1	0.069
	1611/1 ख, 1612/2, 1613/2	0.020
	1606/5	0.016
	1611/2	0.040
	1607/1	0.016
	1761/7	0.045
	1432/3	0.040
	1776	0.016
	1777	0.024
	1774, 1430/2, 1433/2 1428	0.085
	1470, 1471, 1472	0.020
	1478/1	0.020
	1438/1 क	0.036
	1438/3	0.020
	1572/3	0.008
	1433/1	0.032
	1238	0.069
	1237/1	0.008
	1240/1	0.020
	2555/2	0.016
योग	30	0.959

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 24 नवम्बर 2003

क्रमांक 1251/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनियापाट, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.332 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233/2	0.113

	(1)	(2)
	245/1	0.045
	245/2	0.016
	259/3	0.057
	256/8	0.101
योग	5	0.332

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनियापाट डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 24 नवम्बर 2003

क्रमांक 1252/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलादेही, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	12	0.069
	11	0.061
योग	2	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु..

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 24 नवम्बर 2003

क्रमांक 1253/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अफरीद, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1137/1	0.036
	1135	0.012
	1014/1	0.040
	1013	0.008
	1012	0.012
	1011	0.008
	1005/1	0.012
	1002/1	0.049
	1766/1	0.012
	1744/2	0.053
	1746/3	0.012
	1741/2	0.045
	1738/1	0.032
	1738/2	0.049
योग	14	0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अफरीद डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 20/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सलनी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.086 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	80/1	0.016
	109	0.014
	81	0.012
	77, 79	0.004
	74	0.040
योग		0.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी सब माइनर दो.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 21/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुचकुलिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	120	0.081
	197	0.040
योग		0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइ. (पूरक) नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 22/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1656, 1814	0.073

(1)	(2)
1671/2	0.024
1676/1	0.053
1676/3	0.016
1892, 1894	0.269
1944	0.065
1950	0.069
2006	0.016
634/1 ड	0.202
634/1 ठ	0.197
2058/1	0.057
1948/2	0.032
1843/2	0.024
1949/2, 1949/3	0.121
1993/3	0.016
1675	0.105
योग	1.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनसरी माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 23/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.127 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1765	0.020
1764	0.059
1767/2	0.021
1781	0.011
1786, 1787	0.016
योग	0.127

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 24/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2872/1	0.105
2876, 2897/2	0.110
2900	0.036
2901	0.020

(1)	(2)
2898	0.048
2996	0.048
3200/2	0.065
3199	0.048
योग	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलसरा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 25/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.209 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1397/10	0.020
1397/18	0.020
1397/9	0.020
1397/2, 1397/15	0.081
1397/7	0.020
1397/6	0.024
1397/11	0.024
योग	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलसरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 26/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कलमीडीह, प ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80	0.024
79	0.024
योग	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 27/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कोटेतरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.543 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81/2, 65/4	0.280
81/9	0.012
73/2	0.024
71	0.180
213, 214	0.036
310/2	0.024
270/6	0.032
310/4	0.016
270/3	0.202
270/2, 270/7	0.149
286, 287	0.105
367	0.140
364/3	0.061
364/5	0.028
364/9	0.093
364/10	0.020
364/6	0.040
364/1	0.081
269/4	0.012
269/5	0.008
योग	1.543

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 28/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.103 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1115/2	0.065
1083/1	0.065
1076/3	0.024
1083/14	0.049
1076/2	0.172
1437	0.053
1210	0.020
1207/3	0.101
1216	0.061
1188/2	0.016
1397/12	0.032
1397/20	0.028
1076/5	0.049
1443/3	0.016
1445/2	0.061
1083/23	0.049
1436/2	0.036
1105	0.036
1182/1	0.020
1064/8	0.049
1202	0.101
योग	1.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह माइनर (पूरक) नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 29/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464	0.041
योग	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 30/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
943/1	0.048
943/3	0.049
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलसरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 31/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.099 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/5	0.008
22/4	0.004
22/3	0.004
23/3	0.008
61	0.040
254/2	0.035
योग	0.099

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलसरा माइनर क्रमांक 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 32/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भौथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.600 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
57, 55	0.071
48/2	0.040
74, 75	0.054
85/3	0.048
85/4	0.071
217, 218	0.063
1316/2	0.048
1337/1	0.075
1368, 1347/1, 1447/1	0.060
1463, 1466	0.109
1608/5	0.009
1608/2	0.131
2000/1, 2008/1	0.135
1748/1 ख, 1750/1	0.163
22/10	0.200
60/9	0.163
1321/1	0.075
1446/1, 6, 8	0.085
योग	1.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 33/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढूठी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.217 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
666	0.081
669	0.061
672/2	0.075
योग	0.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलसरा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 दिसम्बर 2003

क्रमांक 34/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.745 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
546/1	0.012
412	0.040
697/2	0.053
707	0.012
232	0.024
229	0.089
706	0.097
223	0.125
224/2	0.032
720	0.040
388/3	0.040
387	0.020
226/2 ड, 226/2 क	0.097
708	0.028
230	0.036
योग	0.745

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली शाखा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

क्रमांक 35/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.280 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
347/1	0.072
453/3	0.009
449/1	0.057
523, 522/1	0.017
521	0.024
520	0.037
495	0.012
225	0.052
योग	0.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

क्रमांक 37/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2593/6	0.089
2606/1, 2606/2 क	0.065
2564/3	0.021
2740/2	0.021
1937/1	0.012
1937/2	0.021
1937/3	0.004
1930/1, 1931/1	0.053
2599/1	0.141
2508/4	0.053
2492/1	0.032
2741/1	0.008
2741/2	0.016
योग	0.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनसरी सब माइनर् नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

क्रमांक 38/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.869 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412	0.040
413	0.036
424/2	0.008
436/3	0.016
436/6	0.032
436/7	0.016
436/4	0.036
438/2, 439/2	0.065
363	0.101
318/1	0.044
718	0.040
954	0.250
1319/3	0.093
1319/7	0.133
1289/4	0.081
421/3, 421/4	0.028
394/2	0.031
435	0.113
439/6	0.015
357	0.008
315/2	0.032

(1)	(2)
280/1, 280/3	0.139
701/1	0.020
701/3	0.053
716	0.077
1250/2	0.016
1251/2	0.099
956/12	0.024
713	0.049
370/2	0.053
371/2	0.077
381/1, 470/1	0.024
956/3	0.020
योग	1.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलसरा माइनर नं. 2 पूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.